प्रेस नोट दिनांक 02.09.2024

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित वारंटी को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत NBW से संबंधित वारंटी कृपाल गुप्ता पुत्र रामनाथ (आटाचक्की) निवासी ग्राम शिकारगंज बाजार थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा वारंटी-

1.कृपाल गुप्ता पुत्र रामनाथ (आटाचक्की) निवासी ग्राम शिकारगंज बाजार थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली

उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.का0 रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 02.09.2024

थाना बबुरी पुलिस द्वारा 01 वांछित वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में बबुरी पुलिस द्वारा वांछित अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में राजेन्द्र बियार पुत्र बैजनाथ बियार निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0नं0 822/99 धारा 323/504/325 भादवि0 बनाम राजेन्द्र वगैरह थाना बबुरी जनपद चन्दौली ता0 पेशी 02.09.24 बनाम सरकार को उसके घर से पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

राजेन्द्र बियार पुत्र बैजनाथ बियार निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मु0 असलम शाह मय थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 मधुसूदन राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-02.09.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-02.09.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 02.09.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान के दौरान 01 पिकअप से क्रूरतापूर्वक 06 राशि भैस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नौगढ कृष्णमुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण मे, प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिह के नेतृत्व में चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 06 मवेशियों के साथ 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 01.09.2024 को थाना चकरघट्टा पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लादकर बबुरी की तरफ ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा बकुलघट्टा तिराहा के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ देर बाद एक संदिग्ध पिकअप तेज गति से आती हुई दिखायी दी। पुलिस टीम को देखकर चेकिंग पांइट से कुछ दूर पहले ही अभियुक्तों द्वारा पिकअप को रोककर भागने का प्रयास किया गया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पिकअप वाहन से 06 राशि भैंस (04 राशि भैस ,01 राशि पडिया ,01 राशि पडवा) बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों का नाम व पता- 1.अशोक कुमार पुत्र स्व0 मुराहू निवासी ग्रा0 बलिया थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.कैश मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र छोटू नि0ग्राम डबरी कला थाना बबुरी जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 056/24 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम

बरामदगी का विवरण-1.06 राशि भैस (04 राशि भैस ,01 राशि पडिया ,01 राशि पडवा जिन्दा) 2. 01 पिकअप वाहन

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 राजमणि यादव थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

2.का0 प्रमोद कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

3.हो0गा0 प्रमोद कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-02.09.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण

□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली- जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवक्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-06, परिवारिक विवाद सम्बन्धित 08, अन्य विवाद-24 कुल-38 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 02.09.2024

जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग की गयी।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक-02.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.06.2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामचन्दर पुत्र राम लोचन निवासी पपरौल थाना धानापुर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-70/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-02.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार सिविल जज (सी.डि.)एसीजेएम जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.रामचन्दर पुत्र राम लोचन निवासी पपरौल थाना धानापुर चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-02.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सूश्री नूतन (सिविल जज (जू0.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 13.08.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मो0 इकराम पुत्र मो0 हरीफ उर्फ मुन्ना मिया निवासी दुर्गावती थाना दुर्गावती जिला कैमुर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 123/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-02.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सूश्री नूतन (सिविल जज (जू0.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मो0 इकराम पुत्र मो0 हरीफ उर्फ मुन्ना मिया निवासी दुर्गावती थाना दुर्गावती जिला कैमुर बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 02.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी पिन्टू शर्मा पुत्र स्व0 भगेलू निवासी कैली ताराजीवनपुर रोड थान अलीनगर जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0नं0 2347/24 को मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत एन0बी0डब्लू0 आदेश के अनुपालन में उसके निवास स्थान से दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी –

पिन्टू शर्मा पुत्र स्व0 भगेलू निवासी कैली ताराजीवनपुर रोड थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण वारण्ट– मु0नं0 2347/24

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

हे0का0 महेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.09.2024

जनपद चन्दौली

□बाइक चोरी पर नियन्त्रण व चोरी का गई बाइक की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में चलाया गया विशेष चेकिंग/सत्यापन अभियान

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों क्षेत्रों व चौकियों द्वारा बाइक चोरी पर नियन्त्रण व चोरी की गई बाइकों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया गया। जनपदीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियान के तहत जनपदीय क्षेत्र में पडऩे वाली समस्त बाइक सर्विस सेंटर व रिपेयर की दुकानों जाकर बाइकों की चेकिंग/सत्यापन किया गया।

इसी क्रम में थाना चन्दौली द्वारा- 06 , थाना सैयदराजा द्वारा-4,थाना कन्दवा द्वारा-05, थाना मुगलसराय द्वारा-03, थाना अलीनगर द्वारा-06, थाना बबुरी द्वारा-06 थाना सकलडीहा द्वारा-22 थाना बलुआ-00 द्वारा-थाना धानापुर द्वारा-04 थाना धीना द्वारा-06, थाना चकिया द्वारा-05, थाना शहाबगंज द्वारा-05, थाना इलिया द्वारा-02 थाना नौगढ़ द्वारा-2 व थाना चकरघट्टा द्वारा-03 कुल 79 दुकानों पर जाकर कुल 383 बाइकों का चेकिंग/सत्यापन किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 02.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ब्रेजा मारुति कार में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जारहे कुल 03 राशि गोवंश बरामद

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र मय हमराह को पीआरवी द्वारा सूचना दी गई कि एन0एच0 19 हाईवे पचफेड़वा पर एक ब्रेजा कार नं0 UP 66U 1234 डिवाईडर से टकरा गई है। उपरोक्त सूचना पर थाना अलीनगर पुलिस टाम द्वारा मौके पर पहुंच कर वाहन को चेक किया गया तो उसमें कुल 03 गोवंश जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ पाया गया व वाहन चालक / स्वामी मौके से फरार हो गये थे। बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 211/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस बनाम वाहन संख्या UP 66U 1234 का चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण बरामदगी -

1.एक ब्रेजा कार नं0 UP 66U 1234

2.कुल 03 राशि गोवंश

3.10 अदद कार्ड ए0टी0एम0, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स तथा एक अदद मोबाईल सैमसंग

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 211/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चंदौली।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 02.09.2024

थाना साइबर क्राइम, चन्दौली

□थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा आवेदिका से हुए धोखाधड़ी की धनराशि ₹ 79,000/- वापस कराया गया।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लाग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण व यानाध्यक्ष साइबर क्राइम बीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदिका गुंजा देवी पत्नी स्व० रवीन्द्र यादव निवासी नसीरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के पुत्री का बीफार्मा में एडमिशन कराने के नाम पर 79000/- रुपये की धोखाधड़ी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका गुंजा देवी उपरोक्त के द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदिका के खाते से निकाली गयी धनराशि 79000/- रुपये को आवेदिका को वापस करायी गयी। आवेदिका गुंजा देवी उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम की धन्यबाद/आभार प्रकट किया गया।

पीड़िता का नाम व पताः- 1.गुंजा देवी पत्नी स्व० रवीन्द्र यादव हाल पता- नसीरपुर थाना अलीनगर चन्दौली

फ्राड का दिनांक- 27.07.2024

विवरण बरामदगी- वापस करायी गयी धनराशि रुपया 79000/-

साइबर क्राइम सेल टीमः-

1.थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम चन्दौली

2.मु०आ० पवन कुमार यादव

3.आरक्षी आशुतोष भारद्वाज

4.आरक्षी राहुल यादव

5.आरक्षी मो० नौशाद